बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
।। संकल्प ।।

विषयः– केन्द्र प्रायोजित AMRUT योजना के अधीन पूर्णिया जलापूर्ति योजना फेज–II की प्राक्कलित राशि रू 9371.04 लाख (तिरानवे करोड़ एकहत्तर लाख चार हजार रू मात्र) एवं मुजफ्फरपुर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना की प्राक्कलित राशि रू 15841.69 लाख (एक अरब अंठावन करोड़ इक्तालिस लाख उनहत्तर हजार रू मात्र) का व्यय और बुडा को AMRUT योजना का राज्य मिशन निदेशालय के रूप में नामित करने की प्रशासनिक स्वीकृति।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शहरों के आधारभूत संरचना के विकास हेतु अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना का शुभारंभ दिनांक–25. जून, 2015 को किया गया इसके अंतर्गत राज्य के एक लाख से अधिक आबादी वाले 26 शहर एवं बोधगया शहर सहित कुल 27 शहरों को सम्मिलित किया गया है। इस योजना के अधीन शहरों में जलापूर्ति योजना, ड्रेनेज योजना, सिवेज योजना एवं पार्क विकास योजना को मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के अधीन State Annual Action Plan (SAAP-I) में 664.20 करोड़, SAAP-II में 775.20 करोड़ एवं SAAP-III में 1030.37 करोड़ की योजना स्वीकृत है।

SAAP-III में बेतिया, डेहरी एवं दरभंगा के लिए जलापूर्ति योजना फेज–II की स्वीकृति प्रदान की गई है। जबकि बेतिया, डेहरी एवं दरभंगा जलापूर्ति योजना फेज–I से ही इन शहरों में जलापूर्ति का कार्य पूर्ण हो जाएगा। पूर्णिया शहर के लिए जलापूर्ति योजना फेज–II की स्वीकृति किसी SAAP में नहीं किया गया है। जबकि पूरे पूर्णिया शहर में स्वीकृत जलापूर्ति योजना फेज–I से जलापूर्ति का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकेगा। अतएव पूर्णिया शहर के लिए जलापूर्ति योजना फेज–II की स्वीकृति दिया जाना आवश्यक है। उक्त के आलोक में SAAP-III में स्वीकृत बेतिया, डेहरी एवं दरभंगा जलापूर्ति योजना फेज–II को रद्द करते हुए पूर्णिया जलापूर्ति योजना फेज–II की स्वीकृति हेतु योजना के अधीन गठित SHPSC द्वारा अनुशंसा किया गया है। SAAP-II में मुजफ्फरपुर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा की गई है।

2. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अधीन 10.00 लाख से अधिक आबादी वाले शहर (पटना) के लिए कुल प्राक्कलित राशि का एक तिहाई भारत सरकार द्वारा, 20% नगर निकाय द्वारा एवं शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 10 लाख से कम आवादी वाले शहरों के लिए कुल राशि का 50% भारत सरकार द्वारा, 30% राज्य सरकार द्वारा एवं 20% राशि का वहन नगर निकाय द्वारा किया जाएगा। योजना के अधीन O&M मद की पूरी राशि का वहन नगर निकाय द्वारा किया जाएगा एवं सेंटेज की राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि प्रथम किश्त 20%, द्वितीय किश्त 40% एवं तृतीय किश्त 40% के रूप में विमुक्त किया जाएगा। पूर्णिया जलापूर्ति योजना फेज–II मद में राज्यांश के रूप में तीन किश्त में रू0 2560.302 लाख (पच्चीस करोड़ साठ लाख तीस हजार दो सौ रू0 मात्र) एवं मुजफ्फरपुर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना में राज्यांश के रूप में सेंटेज सहित तीन किश्त में रू0 5153.39 लाख (इक्यावन करोड़ तिरेपन लाख उनचालिस हजार रू0 मात्र) का भार वहन किया जाना है।

3. विकास की गति को बनाये रखने तथा पूर्णिया के नागरिकों को उच्चस्तरीय जीवन स्तर प्रदान करने के उद्देश्य से नये जलापूर्ति योजना हेतु कुल राशि रू0 9371.04 लाख (तिरानवे करोड़ एकहत्तर लाख चार हजार रू0 मात्र) का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। इससे राष्ट्रीय मानक के अनुसार पूर्णिया नगर निकाय क्षेत्र में आवासित सभी निवासियों को गुणवत्तापूर्ण जलापूर्ति किया जा सकेगा। वर्तमान व्यवस्था में नागरिकों को शुद्ध एवं समुचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इन योजनाओं को अगले तीस वर्षों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

इसी प्रकार मुजफ्फरपुर शहर के नागरिकों को उच्चस्तरीय जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना हेतु कुल राशि रू 15841.69 लाख (एक अरब अंठावन करोड़ इक्तालिस लाख उनहत्तर हजार रू मात्र) का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। इससे मुजफ्फरपुर नगर निकाय क्षेत्र में आवासित लोगों को जल जमाव की समस्या से मुक्त कराया जाना है।

AMRUT योजना के मार्गदर्शिका की कंडिका–10.2 में अंकित प्रावधान के अनुसार एक राज्य मिशन निदेशक होगा जिसमें राज्य सरकार के सचिव के स्तर के ही एक अधिकारी होंगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा और जो एक कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट (PMU) और एक परियोजना विकास और प्रबंधन परामर्शदाता (PDMC) के साथ कार्य करेगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन State Level Nodal Agency के रूप में बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा) अन्य केन्द्र संपोषित योजना के साथ AMRUT योजना के लिए कार्यरत है। अतएव BUDA को AMRUT योजना का राज्य मिशन निदेशालय के रूप में नामित करने के प्रस्ताव पर SHPSC द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त के आलोक में BUDA को AMRUT योजना का राज्य मिशन निदेशालय के रूप में नामित करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

4. केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अधीन पूर्णिया जलापूर्ति योजना फेज–II के कार्यान्वयन हेतु 50% भारत सरकार द्वारा, 30% राज्य सरकार द्वारा एवं 20% राशि का वहन नगर निकाय द्वारा किया जाएगा। योजना के अधीन O&M मद की पूरी राशि का वहन नगर निकाय द्वारा किया जाएगा। इन जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन एजेंसी बिहार राज्य जल पर्षद होगा। योजना के लिए प्रस्तावित राशि एवं इसके अन्तर्गत अवयवों की विवरणी निम्नवत है:–

(राशि लाख रू0 में)

योजना का नाम	प्राक्कलित कैपिटल कॉस्ट	प्राक्कलित O& M Cost	वचनबद्ध केन्द्रांश की राशि	वचनबद्ध राज्यांश की राशि	नगर निकाय का अंशदान की राशि	कुल स्वीकृत राशि	अवयव
			Estimated Capital Cost का 50%	Estimated Capital Cost का 30%	Estimated Capital Cost का 20%+ Estimated O&M Cost का 100%		
1	2	3	4	5	6	7	8
पूर्णिया जलापूर्ति योजना फेज--2	8534.34	836.70	4267.17	2560.302	2543.568	9371.04	Tubewells - 13 Nos Rising Main - 650m OHR- 8 Nos (4994 KL) Distribution Pipe Line - 155479 M HH Connection - 20048 SCADA Yes

मुजफ्फरपुर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना का कार्यान्वयन बुडको द्वारा किया जाएगा। इस योजना हेतु कैपिटल कॉस्ट का 50% भारत सरकार द्वारा, योजना के कैपिटल कॉस्ट का 30% राशि एवं सेंटेज की राशि का 100% राज्य सरकार द्वारा तथा कैपिटल कॉस्ट का 20% राशि का वहन नगर निकाय द्वारा किया जाएगा, जिसकी विवरणी निम्नवत है:–

(राशि लाख रू0 में)

योजना का नाम	प्राक्कलित राशि		केन्द्रांश की वचनबद्ध राशि	राज्यांश की वचनबद्ध राशि		नगर निकाय का अंशदान	कुल स्वीकृत राशि	अवयव
	कैपिटल कॉस्ट	सेंटेज	Estimated Capital Cost का 50%	Estimated Capital Cost का 30%	Centage	Estimated Capital Cost का 20%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मुजफ्फरपुर स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना	15269.00	572.69	7634.50	4580.70	572.69	3053.80	15841.69	Total Lenght of Drain - 22.409 km, (Drain with cover 5.685 km, Drain without cover 16.724 Km), Depth of Drain- 1000mm to 3000 mm, width of Drain-1000mm to 5000 mm, Culvert-21 Nos, STP-3 Nos. Population Covered 388681(2011 Census)

यह एक नई योजना है। कार्यान्वयन एजेंसी BRJP/BUIDCO/नगर निकाय को इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि State Level Nodal Agency, Bihar (BUDA), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। राशि व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार एवं SLNA को BRJP/BUIDCO/नगर निकाय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। BRJP/BUIDCO राज्य सरकार का एक उपक्रम है।

6. राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक–27.03.2018 को सम्पन्न बैठक में मद सं0–02 के रूप में इन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

7. **अतः केन्द्र प्रायोजित AMRUT योजना के अधीन पूर्णिया जलापूर्ति योजना फेज–II की प्राक्कलित राशि रू 9371.04 लाख (तिरानवे करोड़ एकहत्तर लाख चार हजार रू मात्र) एवं मुजफ्फरपुर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना की प्राक्कलित राशि रू 15841.69 लाख (एक अरब अंठावन करोड़ इक्तालिस लाख उनहत्तर हजार रू मात्र) का व्यय और बुडा को AMRUT योजना का राज्य मिशन निदेशालय के रूप में नामित करने की प्रशासनिक स्वीकृति पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।**

आदेश–अतः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारी/संबंधित नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

ह0/–

(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–AMRUT-21-03/2015 दिनांक–

प्रतिलिपिः अधीक्षक राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना/अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी0डी0 संलग्न) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए संकल्प की दो सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–AMRUT-21-03/2015 839 दिनांक–31-3-18

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त सचिव (AMRUT), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार/संयुक्त सचिव (SBM), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद/सभी संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/अपर सचिव–सह–निदेशक, बुडा के आप्त सचिव, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/3/2018

सरकार के प्रधान सचिव।